(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना संख्या 04 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 25 अप्रैल, 2018

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत मटर की आयात नीति में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0713 1000	मटर (पिसम सटिवम)	मुक्त	–	प्रतिबंधित	01 अप्रैल से 30 जून, 2018 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित और इस अध्याय की नीतिगत शर्त 4 के अधीन।

नीतिगत शर्त 4: 01 अप्रैल से 30 जून, 2018 तक की अवधि के दौरान 1 लाख मीट्रिक टन पीले मटर की कुल मात्रा में से 01.04.2018 से आज तक आयात हो चुकी मात्रा को घटाकर शेष मात्रा डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस के लिए अनुमत होगी।

''पहले आयातित'' के अन्तर्गत 01.04.2018 से 25.04.2018 तक आया पोत लदान और 25.04.2018 से पहले अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पत्र (आईसीएलसी) और बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए गए अग्रिम भुगतान के तहत आया पोत लदान शामिल होगा। इन दोनों श्रेणियों को विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित होगा।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** एक्जिम कोड 0713 1000 के तहत पीले मटर की आयात–नीति केवल तीन महीने की अवधि के लिए 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' की जाती है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 एम–5012/300/2002/पीसी–2(क)/पार्ट–VI/ई–9019 से जारी]